



## पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर (राज)

(श्री कल्याण राजकीय महाविद्यालय के पीछे, सीकर-332001)  
टेलीफोन नं. 01572-272100, 273100, 273200 टेलीफैक्स 01572-273100  
वेबसाईट: www.shekhauni.ac.in ई-मेल: reg.shekhauni@gmail.com

क्रमांक: 7901

दिनांक: 13-6-18

### प्रबंध मण्डल की अत्यावश्यक बैठक दिनांक 11.06.2018 का कार्यवाही विवरण

एजेण्डा: 1. गत बैठक दिनांक 18.05.2018 के कार्यवृत्त का अनुमोदन ।

एजेण्डा/निर्णय: 1. सर्वानुमति से प्रबंध मण्डल की दिनांक 18.05.2018 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया जाता है।

एजेण्डा: 2. राजभवन के पत्र क्रमांक एफ.-43 (3)/राभ/2018/3705 दिनांक 09.05.2018 के संदर्भ में ऑर्डिनेन्स संख्या 165-169 मानदेय की सिलिंग के संबंध में निर्णयार्थ।

नोट:

- (i) प्रस्तावित ऑर्डिनेन्स के पार्ट III के अध्याय 12 में विश्वविद्यालय के पेपर-सेटर/ उत्तर पुस्तिका परीक्षक को पेपर-सेटिंग तथा उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन के लिए एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारी/विश्वविद्यालय के कर्मचारी को अतिरिक्त कार्य के लिए देय अतिरिक्त मानदेय के संदर्भ में एक वर्ष की सीमा निर्धारित करने के संदर्भ में टिप्पणी अथवा संशोधन चाहा गया है।

विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर विश्वविद्यालय प्रशासन उक्त सीमा के निर्धारण के लिए प्रस्तावित ऑर्डिनेन्स में ऑर्डिनेन्स 169 A संलग्न कर उक्त अध्यादेश में संशोधन स्वीकार करता है, जो निम्नानुसार है:

**O 169 A. Financial Limitation on Payment of Remuneration:**  
Notwithstanding anything in this chapter the following persons appointed or assigned the university work falling in the category of additional remuneration shall not be paid honorarium/ remuneration not exceeding Rs. One Lac in any academic session:

1. Paper-setter and Examiner for paper setting and evaluation of answer books together.
2. Additional Remuneration to administrative, ministerial, clerical and other non-teaching staff of the University for discharging their administrative, ministerial and other non-teaching work.

**Proviso:** Provided that the university may with the approval of the Board of Management amend the limit of Rs. One Lac as and when the necessity arises by recording the reasons/justifications.

एजेण्डा/निर्णय: 2. विश्वविद्यालय के ऑर्डिनेन्स के पार्ट III के अध्याय 12 में विश्वविद्यालय के

पेपर-सेटर/ उत्तर पुस्तिका परीक्षक को पेपर-सेटिंग तथा उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन के लिए एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारी/ विश्वविद्यालय के कर्मचारी को अतिरिक्त कार्य के लिए देय अतिरिक्त मानदेय के संदर्भ में एक वर्ष की सीमा निर्धारित करने के संदर्भ में राजभवन द्वारा जो टिप्पणी अथवा संशोधन चाहा गया है के संदर्भ में विश्वविद्यालय उक्त सीमा के निर्धारण के लिए प्रस्तावित ऑर्डिनेन्स में ऑर्डिनेन्स 169 A संलग्न कर उक्त अध्यादेश में संशोधन को सर्वानुमति से निम्न स्वरूप में स्वीकार किया जाता है:

O 169 A. **Financial Limitation on Payment of Remuneration:** Notwithstanding anything in this chapter the following persons appointed or assigned the university work falling in the category of additional remuneration shall not be paid honorarium/ remuneration not exceeding Rs. One Lac in any academic session:

3. Paper-setter and Examiner for paper setting and evaluation of answer books together.
4. Additional Remuneration to administrative, ministerial, clerical and other non-teaching staff of the University for discharging their administrative, ministerial and other non-teaching work.

**Proviso:** Provided that the university may with the approval of the Board of Management amend the limit of Rs. One Lac as and when the necessity arises by recording the reasons/justifications.

**एजेण्डा: 3.1.** राजभवन के पत्र क्रमांक एफ.-43 (3)/राभ/2018/3705 दिनांक 09.05.2018 में उल्लेखित राजभवन के पत्रांक 2770 दिनांक 13.04.2016 के संदर्भ में दीक्षांत समारोह के ड्रेस कोड के निर्धारण हेतु।

**नोट:**

राजभवन के दिनांक 13.04.2016 के आदेश में क्रम संख्या 2 से 5 तक के निर्देशों को संशोधन के रूप में वर्तमान प्रस्तावित अध्यादेश 177 में निम्नानुसार संशोधन कर स्वीकार करने का निर्णय लिया है:

O 177. The colours of the various Faculties shall be as follows:

1. A jacket with mehroon (dark red colour) will be used during the winter session.
2. The colour of 'Turban' for each category will be decided by the University. However, the university shall ensure uniformity in colour separately for each category.
3. The colour of the boarder of the Saree/Blouse/ Chumni/Duppata for each category will be decided by the University. However, the university shall ensure uniformity in colour separately for each category.

**एजेण्डा: 3.2** ड्रेस कोड के संदर्भ में प्रस्तावित अध्यादेश 180 में निम्नानुसार संशोधन करने का प्रस्ताव राजभवन के आदेश दिनांक 13.04.2016 के अनुसार स्वीकार किया है:

O 180. The authorities and the graduates of Pandit Deendayal Upadhyaya Shekhawati University, Sikar shall wear the academic dress as provided here:

Chancellor

1. **Male:** Jodhpuri Suit (White/off-white/cream colour), Rajasthani 'Turban' and Black Shoes



	2. <b>Female:</b> Saree (White/off-white/cream colour) with colour of the Boarder and Blouse as decided by the University and Black Sandal/Slipper.
Vice-Chancellor Registrar	1. <b>Male:</b> Jodhpuri Suit (White/off-white/cream colour), Rajasthani 'Turban' and Black Shoes 2. <b>Female:</b> Saree (White/off-white/cream colour) with colour of the Boarder and Blouse as decided by the University and Black Sandal/Slipper.
Members of University Authorities/Officials	1. <b>Male:</b> Jodhpuri Suit (White/off-white/cream colour), Rajasthani 'Turban' and Black Shoes 2. <b>Female:</b> Saree (White/off-white/cream colour) with colour of the Boarder and Blouse as decided by the University and Black Sandal/Slipper.
Authorities/Public Representatives and different nominated persons including non- officials.	1. <b>Male:</b> Jodhpuri Suit/ 'Kurta-payjama'/ Paint-Shirt/'Dhoti-Kurta' (White/off-white/ cream colour), Rajasthani 'Turban' and Black Shoes 2. <b>Female:</b> Saree/ 'Salwar-Suit' (White/off-white/cream colour) with colour of the Boarder and Blouse/'Chunni'/ 'Dupatta' as decided by the University and Black Sandal/Slipper.
Receipients/Students of Degree/ Medals	1. <b>Male:</b> 'Kurta-payjama'/ Paint-Shirt/ 'Dhoti-Kurta' (White colour) and Black Shoes 2. <b>Female:</b> Saree/Salwar-Suit (White colour) with colour of the Boarder and Blouse/ 'Chunni'/ 'Dupatta' as decided by the University and Black Sandal/Slipper.

**Proviso:** The University may change the dress, dress code and their colour of the recipients of the degrees/diplomas, officials of the university and members of the authorities, who participate in the Convocation by a notification.

सलग्नक 2: पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय अध्यादेश सम्पूर्ण अध्याय 14 अध्यादेश 172-186

**एजेण्डा/निर्णय: 3.1.** राजभवन के पत्र क्रमांक एफ.-43 (3)/राभ/2018/3705 दिनांक 09.05.2018 में उल्लेखित राजभवन के पत्रांक 2770 दिनांक 13.04.2016 के संदर्भ में दीक्षांत समारोह के ड्रेस कोड के निर्धारण हेतु राजभवन के दिनांक 13.04.2016 के आदेश में क्रम संख्या 2 से 5 तक के निर्देशों को संशोधन के रूप में वर्तमान प्रस्तावित अध्यादेश 177 में निम्नानुसार संशोधन कर स्वीकार करने का निर्णय सर्वानुमति से लिया जाता है। इस संशोधन द्वारा प्रबन्ध मण्डल के निर्णय संख्या 1.13 दिनांक 06.01.2018 के जिसे विश्वविद्यालय के नोटिफिकेशन युए/नोटिफिकेशन/ऑर्डिनेन्सेज/96 दिनांक 03.04.2018 के द्वारा प्रकाशित कर दिनांक 03.04.2018 से प्रभावी किया गया था को पूर्व ऑर्डिनेन्स 177 को निरसित करने का भी निर्णय लिया जाता है।

**स्वीकृत ऑर्डिनेन्स 0.177 का संशोधित स्वरूप निम्नानुसार होगा:**

O 177. The colours of the various Faculties shall be as follows:

1. A jacket with mehroon (dark red colour) will be used during the winter session.

2. The colour of 'Turban' for each category will be decided by the University. However, the university shall ensure uniformity in colour separately for each category.
3. The colour of the boarder of the Saree/Blouse/Chummi/Duppata for each category will be decided by the University. However, the university shall ensure --uniformity in colour separately for each category

**एजेण्डा/निर्णय: 3.2.** राजभवन के पत्र क्रमांक एफ.-43 (3)/राभ/2018/3705 दिनांक 09.05.2018 में उल्लेखित राजभवन के पत्रांक 2770 दिनांक 13.04.2016 के संदर्भ में दीक्षांत समारोह के ड्रेस कोड के निर्धारण हेतु राजभवन के दिनांक 13.04.2016 के आदेश में क्रम संख्या 2 से 5 तक के निर्देशों को संशोधन के रूप में वर्तमान प्रस्तावित अध्यादेश 180 में निम्नानुसार संशोधन कर स्वीकार करने का निर्णय सर्वानुमति से लिया जाता है। इस संशोधन द्वारा प्रबन्ध मण्डल के निर्णय संख्या 1.14 दिनांक 06.01.2018 के जिसे विश्वविद्यालय के नोटिफिकेशन युए/नोटिफिकेशन/ऑर्डिनेन्सेज/96 दिनांक 03.04.2018 के द्वारा प्रकाशित कर दिनांक 03.04.2018 से प्रभावी किया गया था को पूर्व ऑर्डिनेन्स 180 को निरसित करने का भी निर्णय लिया जाता है।

**स्वीकृत संशोधित अध्यादेश 180 का प्रारूप/स्वरूप:**

O 180. The authorities and the graduates of Pandit Deendayal Upadhyaya Shekhawati University, Sikar shall wear the academic dress as provided here:

Chancellor	1. <b>Male:</b> Jodhpuri Suit (White/off-white/cream colour), Rajasthani 'Turban' and Black Shoes 2. <b>Female:</b> Saree (White/off-white/cream colour) with colour of the Boarder and Blouse as decided by the University and Black Sandal/Slipper.
Vice-Chancellor Registrar	1. <b>Male:</b> Jodhpuri Suit (White/off-white/cream colour), Rajasthani 'Turban' and Black Shoes 2. <b>Female:</b> Saree (White/off-white/cream colour) with colour of the Boarder and Blouse as decided by the University and Black Sandal/Slipper.
Members of University Authorities/Officials	1. <b>Male:</b> Jodhpuri Suit (White/off-white/cream colour), Rajasthani 'Turban' and Black Shoes 2. <b>Female:</b> Saree (White/off-white/cream colour) with colour of the Boarder and Blouse as decided by the University and Black Sandal/Slipper.
Authorities/Public Representatives and different nominated persons including non-officials.	1. <b>Male:</b> Jodhpuri Suit/ 'Kurta-payjama'/ Paint-Shirt/'Dhoti-Kurta' (White/off-white/ cream colour), Rajasthani 'Turban' and Black Shoes 2. <b>Female:</b> Saree/ 'Salwar-Suit' (White/off-white/cream colour) with colour of the Boarder and Blouse/'Chummi'/ 'Dupatta' as decided by the University and Black Sandal/Slipper.
Receipients/Students of	1. <b>Male:</b> 'Kurta-payjama'/ Paint-Shirt/ 'Dhoti-Kurta' (White

Degree/ Medals

colour) and Black Shoes

2. **Female:** Saree/Salwar-Suit (White colour) with colour of the Boarder and Blouse/ 'Chunni'/ 'Dupatta' as decided by the University and Black Sandal/Slipper.

**Proviso:** The University may change the dress, dress code and their colour of the recipients of the degrees/diplomas, officials of the university and members of the authorities, who participate in the Convocation by a notification.

नोट: विश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 06.01.2018 एवं 28.03.2018 में पारित पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर के अध्यादेश जिन्हे विश्वविद्यालय की अधिसूचना क्रमांक यूए/नोटिफिकेशन/ऑर्डिनेन्सेज/96 दिनांक 03.04.2018 के द्वारा अधिसूचित कर दिनांक 03.04.2018 से प्रभावी किया गया था की अधिसूचना को इन अध्यादेशों के दिनांक 03.04.2018 से प्रभावी किये जाने के निर्णय का अनुमोदन किया जाता है। परन्तु सर्वानुमति से यह निर्णय लिया जाता है कि दिनांक 11.06.2018 की वर्तमान प्रबन्ध मण्डल की बैठक के एजेण्डा संख्या 3.1 एवं 3.2 में क्रमशः अध्यादेश संख्या 177 एवं 180 में किये गये उपरोक्त संशोधित प्रारूपों को दिनांक 11.06.2018 से प्रभावी किये जाने का निर्णय किया जाता है। तदानुसार विश्वविद्यालय को प्रशासनिक अधिसूचना द्वारा अधिसूचित करने हेतु निर्देशित किया जाता है।

**एजेण्डा संख्या.4.** विश्वविद्यालय के प्रस्तावित प्रशासनिक भवन निर्माण के मंजिल की ऊंचाई बढ़ाने पर निर्णय।

नोट: विश्वविद्यालय के विभिन्न प्राधिकार मण्डलों एवं प्रबंध मण्डल के द्वारा अधिकृत प्रस्तावित निर्माण एवं विकास कार्य के सुपरविजन विशेषज्ञ सदस्य प्रो. ए.के. गुप्ता, विभागाध्यक्ष, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग विभाग, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर के अवलोकन कर की गई अनुशंषानुसार प्रस्तावित प्रशासनिक भवन निर्माण के मंजिल की ऊंचाई बढ़ाने के निर्णयार्थ।

**एजेण्डा/निर्णय: 4.** सर्वानुमति से विश्वविद्यालय के प्रस्तावित प्रशासनिक भवन निर्माण के प्रत्येक मंजिल की तल से वर्तमान छत (ceiling) की वर्तमान ऊंचाई 3.600 मीटर को बढ़ाकर 3.900 मीटर करने करने के बिल्डिंग कमेटी की बैठक दिनांक 06.06.2018 के एजेण्डा निर्णय संख्या 2 एवं वित्त समिति की बैठक दिनांक 06.06.2018 के एजेण्डा निर्णय संख्या 2 को उक्त बैठकों में निर्णय के साथ संलग्न नोट्स के साथ अनुमोदित करने का निर्णय लिया जाता है। इस संदर्भ में वित्त समिति की एजेण्डा निर्णय संख्या 2 की अतिरिक्त नोट जिसके द्वारा उक्त हेतु से विश्वविद्यालय की निजी आय से बजट प्रावधान करने के निर्णय को भी सर्वानुमति से अनुमोदित कर स्वीकार किया जाता है। प्रबन्ध मण्डल के सदस्यों ने उक्त निर्णय के संबंध में निर्माणाधीन प्रशासनिक भवन विजिट कर उपरोक्त निर्णय को पुनः अनुमोदित किया।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य एजेण्डा बिन्दु: अध्यक्ष महोदय की अनुमति से निम्नांकित एजेण्डा संख्या 5 से 9 तक पर निर्णय किये गये।

**एजेण्डा :5.** बिल्डिंग समिति की बैठक दिनांक 06.06.2018 में अध्यक्ष महोदय की अनुमति से स्वीकृत एजेण्डा संख्या 3 एवं वित्त समिति की बैठक दिनांक 06.06.2018 के एजेण्डा संख्या 3 द्वारा पंडित

दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर के कटराथल स्थित परिसर पर प्रस्तावित वास्तुविद द्वारा निर्मित एवं नगर विकास न्यास, सीकर द्वारा स्वीकृत निम्नांकित 3 प्रस्तावित भवनों के मानचित्रों मय आंशिक (प्रारंभिक) मास्टर प्लान का अनुमोदन:

- i. आंशिक (प्रारंभिक) मास्टर प्लान/ले-आउट प्लान (एक मूलप्रति)
- ii. एकेडमिक एवं कॉन्कलेव ब्लॉक (नॉर्थ ब्लॉक) (छः मूल प्रतियां)
- iii. पुस्तकालय ब्लॉक (साउथ ब्लॉक) (पांच मूल प्रतियां)
- iv. कुलपति आवास (पांच मूल प्रतियां)

एजेण्डा निर्णय संख्या: 5. सर्वानुमति से बिल्डिंग समिति की बैठक दिनांक 06.06.2018 में अध्यक्ष महोदय की अनुमति से स्वीकृत एजेण्डा संख्या 3 एवं वित्त समिति की बैठक दिनांक 06.06.2018 के एजेण्डा संख्या 3 द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर के कटराथल स्थित परिसर पर प्रस्तावित वास्तुविद द्वारा निर्मित एवं नगर विकास न्यास, सीकर द्वारा स्वीकृत निम्नांकित 3 प्रस्तावित भवनों के मानचित्रों मय आंशिक (प्रारंभिक) मास्टर प्लान का मय संलग्न मूल प्रतियों/प्लान/डिजायन के साथ अनुमोदित कर स्वीकार किया जाता है:

- i. आंशिक (प्रारंभिक) मास्टर प्लान/ले-आउट प्लान (एक मूलप्रति)
- ii. एकेडमिक एवं कॉन्कलेव ब्लॉक (नॉर्थ ब्लॉक) (छः मूल प्रतियां)
- iii. पुस्तकालय ब्लॉक (साउथ ब्लॉक) (पांच मूल प्रतियां)
- iv. कुलपति आवास (पांच मूल प्रतियां)

एजेण्डा :6. अध्यक्ष महोदय की अनुमति से विश्वविद्यालय के वित्त नियंत्रक एवं सदस्य सचिव द्वारा प्रस्तुत वित्त समिति की बैठक दिनांक 06.06.23018 में अध्यक्ष की अनुमति से प्रस्तुत एवं स्वीकृत एजेण्डा निर्णय संख्या 1 जिसके द्वारा विश्वविद्यालय में माननीय कुलपति जी के लिए आवंटित वाहन के लिए सिविल एजेन्सी के माध्यम से कार्यरत वाहन चालक को देय ओवर टाईम पारिश्रमिक के भुगतान के संबंध में लिये गये निर्णय पर चर्चा:

(नोट: माननीय कुलपति जी के लिए 24 घण्टे ही वाहन चालक आवंटित होते हैं, इसके अनुसार तीन वाहन चालकों की आवश्यकता रहती है। वर्तमान में विश्वविद्यालय में सिविल एजेन्सी के माध्यम से एक ही वाहन चालक कार्यरत है। उसे स्वाभाविक रूप से नियत समय से अधिक कार्य करना पड़ता है। कार्य के घण्टों की दृष्टि से यदि पूर्ण पारिश्रमिक दिया जाता है तो वह अन्य प्रचलित नियमों से सुसंगत नहीं होता है इसलिए ओवर टाईम के पारिश्रमिक की दरों के निर्धारण की आवश्यकता है।)

वित्त समिति का एजेण्डा निर्णय संख्या 01: सर्वानुमति से निर्णय किया जाता है कि माननीय कुलपति जी के वाहन चालक को ओवर टाईम कार्य के लिए पारिश्रमिक का भुगतान निम्नांकित नियमों/दरों से होगा:

(अ) वाहन चालक को प्रतिदिन न्यूनतम 8 घण्टों के लिए कार्य करना होगा जिसके लिए उसे किसी भी प्रकार का अतिरिक्त पारिश्रमिक का भुगतान देय नहीं होगा।

(ब) वाहन चालक के ओवर टाईम के निर्धारण के लिए 24 घण्टे एक ईकाई होगी एवं ओवर टाईम का निर्धारण/गणना उक्त ईकाई के लिए ही होगी। 24 घण्टे की ईकाई में निर्धारित ओवर टाईम हेतु देय पारिश्रमिक के बाद अतिरिक्त समय कार्य किया जाता है तो वह अगले 24 घण्टे की ईकाई में Carry Forward नहीं किया जायेगा।

(स) यदि वाहन चालक 8 घण्टे की नियमित/न्यूनतम कार्यावधि के बाद 2 घण्टे के लिए कार्य करता है तो उसके लिए किसी भी प्रकार के पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जायेगा तथा यह अतिरिक्त अवधि अगले दिन में Carry Forward नहीं की जायेगी।

(द) यदि वाहन चालक निर्धारित न्यूनतम अवधि के बाद 2 घण्टे से अधिक परन्तु 4

घण्टे तक कार्य करता है तो उसे देय न्यूनतम मूल पारिश्रमिक से 1/4 की दर से ओवर टाईम देय होगा।

(य) यदि वाहन चालक निर्धारित न्यूनतम अवधि के बाद 4 घण्टे से अधिक परन्तु 6 घण्टे तक कार्य करता है तो उसे देय न्यूनतम मूल पारिश्रमिक से 1/2 की दर से ओवर टाईम देय होगा।

(र) यदि वाहन चालक निर्धारित न्यूनतम अवधि के बाद 6 घण्टे से अधिक परन्तु 8 घण्टे तक कार्य करता है तो उसे एक दिन का अतिरिक्त पारिश्रमिक देय होगा।

(ल) यदि वाहन चालक निर्धारित न्यूनतम अवधि के बाद किसी 24 घण्टे की एक ईकाई में 8 घण्टे से अधिक कार्य करता है तो भी उसे एक दिन का ही अतिरिक्त पारिश्रमिक उपपद संख्या (र) के अनुसार ही देय होगा। अन्य शब्दों में 24 घण्टे में एक दिन के ओवर टाईम से अधिक पारिश्रमिक देय नहीं होगा।

(व) यदि वाहन चालक विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार से बाहर जाता है तो ऐसी परिस्थिति में वह 24 घण्टे ही कार्य पर रहता है परन्तु उसे 24 घण्टे में एक दिन का ही अतिरिक्त पारिश्रमिक देय होगा।

नोट: यह भुगतान सिविल एजेन्सी के माध्यम से ही देय होगा। अन्य नियम जो विश्वविद्यालय अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रभावी है अथवा समय-समय पर निर्धारित किये जाते हैं वे लागू रहेंगे।

**एजेण्डा निर्णय संख्या: 6.** सर्वानुमति से निर्णय लिया जाता है कि विश्वविद्यालय में माननीय कुलपति जी के लिए आवंटित वाहन के लिए सिविल एजेन्सी के माध्यम से कार्यरत वाहन चालक को देय ओवर टाईम पारिश्रमिक के भुगतान निम्नांकित मानकों के अनुसार करने के वित्त समिति के निर्णय का नोट में संलग्न परिस्थिती को ध्यान में रखते हुए अनुमोदन कर स्वीकार किया जाता है:

वित्त समिति का एजेण्डा निर्णय संख्या 01: सर्वानुमति से निर्णय किया जाता है कि माननीय कुलपति जी के वाहन चालक को ओवर टाईम कार्य के लिए पारिश्रमिक का भुगतान निम्नांकित नियमों/दरों से होगा:

(अ) वाहन चालक को प्रतिदिन न्यूनतम 8 घण्टों के लिए कार्य करना होगा जिसके लिए उसे किसी भी प्रकार का अतिरिक्त पारिश्रमिक का भुगतान देय नहीं होगा।

(ब) वाहन चालक के ओवर टाईम के निर्धारण के लिए 24 घण्टे एक ईकाई होगी एवं ओवर टाईम का निर्धारण/गणना उक्त ईकाई के लिए ही होगी। 24 घण्टे की ईकाई में निर्धारित ओवर टाईम हेतु देय पारिश्रमिक के बाद अतिरिक्त समय कार्य किया जाता है तो वह अगले 24 घण्टे की ईकाई में Carry Forward नहीं किया जायेगा।

(स) यदि वाहन चालक 8 घण्टे की नियमित/न्यूनतम कार्यावधि के बाद 2 घण्टे के लिए कार्य करता है तो उसके लिए किसी भी प्रकार के पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जायेगा तथा यह अतिरिक्त अवधि अगले दिन में Carry Forward नहीं की जायेगी।

(द) यदि वाहन चालक निर्धारित न्यूनतम अवधि के बाद 2 घण्टे से अधिक परन्तु 4 घण्टे तक कार्य करता है तो उसे देय न्यूनतम मूल पारिश्रमिक से 1/4 की दर से ओवर टाईम देय होगा।

(य) यदि वाहन चालक निर्धारित न्यूनतम अवधि के बाद 4 घण्टे से अधिक परन्तु 6 घण्टे तक कार्य करता है तो उसे देय न्यूनतम मूल पारिश्रमिक से 1/2 की दर से ओवर टाईम देय होगा।

(र) यदि वाहन चालक निर्धारित न्यूनतम अवधि के बाद 6 घण्टे से अधिक परन्तु 8 घण्टे तक कार्य करता है तो उसे एक दिन का अतिरिक्त पारिश्रमिक देय होगा।

(ल) यदि वाहन चालक निर्धारित न्यूनतम अवधि के बाद किसी 24 घण्टे की एक ईकाई में 8 घण्टे से अधिक कार्य करता है तो भी



उसे एक दिन का ही अतिरिक्त पारिश्रमिक उपपद संख्या (र) के अनुसार ही देय होगा। अन्य शब्दों में 24 घण्टे में एक दिन के ओवर टाइम से अधिक पारिश्रमिक देय नहीं होगा।

(व) यदि वाहन चालक विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार से बाहर जाता है तो ऐसी परिस्थिति में वह 24 घण्टे ही कार्य पर रहता है परन्तु उसे 24 घण्टे में एक दिन का ही अतिरिक्त पारिश्रमिक देय होगा।

नोट: यह भुगतान सिविल एजेन्सी के माध्यम से ही देय होगा। अन्य नियम जो विश्वविद्यालय अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रभावी है अथवा समय-समय पर निर्धारित किये जाते हैं वे लागू रहेंगे।

**एजेण्डा: 7. विकास टीटी कॉलेज एवं श्री अर्जुनराम टीटी कॉलेज, पर विश्वविद्यालय के निरीक्षण मण्डल एवं प्रबन्ध मण्डल द्वारा लगाये गये अर्थदण्ड पर शिकायतकर्ता विद्यार्थियों के दिव्यांग के तथाकथित झूठे प्रमाण पत्रों के आधार पर पुर्नविचार हेतु श्री झाबरमल जी खर्वा द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा:**

**एजेण्डा निर्णय :7.** सर्वानुमति से विकास टीटी कॉलेज एवं अर्जुनराम टीटी कॉलेज, पर विश्वविद्यालय के निरीक्षण मण्डल एवं प्रबन्ध मण्डल द्वारा लगाये गये अर्थदण्ड पर शिकायतकर्ता विद्यार्थियों के दिव्यांग के तथाकथित झूठे प्रमाण पत्रों के आधार पर पुर्नविचार हेतु श्री झाबरमल जी खर्वा द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक निर्णय द्वारा समिति गठित करने के निर्णय का अनुमोदन किया जाता है।

**एजेण्डा: 8. माननीय सदस्य श्री झाबर सिंह खर्वा द्वारा विश्वविद्यालय से संबंधित सभी महाविद्यालयों के अध्यापकों की पाठ्यक्रमवार सूचियां विश्वविद्यालय एवं संबंधित महाविद्यालय की वेबसाईट पर प्रकाशित करने के संबंध में चर्चा।**


**एजेण्डा निर्णय 8.** सर्वानुमति से निर्णय लिया जाता है कि विश्वविद्यालय से संबंधित सभी महाविद्यालयों के अध्यापकों की पाठ्यक्रमवार सूचियां विश्वविद्यालय एवं संबंधित महाविद्यालय की वेबसाईट पर प्रकाशित करने का निर्णय लिया जाता है। तदनुसार विश्वविद्यालय संबंधित महाविद्यालयों को अपनी वेबसाईट पर उक्त डाटा प्रकाशित करने के लिए निर्देशित करें तथा उनसे उक्त डाटा मय सॉफ्ट कॉपी लेकर विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर भी प्रकाशित करें।

**एजेण्डा: 9. माननीय सदस्य श्री झाबर सिंह खर्वा परीक्षा के संबंध में अन्य शिकायतों पर चर्चा।**

**एजेण्डा निर्णय: 9.** सर्वानुमति से परीक्षा संबंधित शिकायतों को स्पेशिफिक सूचनाओं के साथ प्रस्तुत करने के बाद उनकी जांच करने की आवश्यक कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।

कुलसचिव द्वारा माननीय सदस्यों का आभार एवं धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक संपन्न हुई।

कुलपति



कुलसचिव

